

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [enepn@nic.in](mailto:enepn@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2832 स्था/अराज/प.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/05	श्री/सुश्री अदनान खान पिता श्री मोहम्मद वारिस खान पता - ग्राम अहरौली, कासगंज, ईटाह पिन - 207123 उत्तर प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सबलगढ जिला मुरैना

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

01. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल मुरैना की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय मुरैना की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री,लो0स्वा0यां0उपखण्ड सबलगढ,जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री /सुश्री अदनान खान पिता श्री मोहम्मद वारिस खान पता - ग्राम अहरौली, कासगंज, ईटाह पिन - 207123 उत्तर प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 2835 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/WAITING/01	श्री/सुश्री पंकज बामने पिता श्री संतोष राव बामने पता - 01, सोनाघाटी बैतूल जिला बैतूल पिन- 460001 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन

वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

क्रमांक 13589 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 05/10/23

01. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
03. महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
04. आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
08. अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।
12. सहायक यंत्री,लो0स्वा0यां0उपखण्ड छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित श्री पंकज बामने पिता श्री संतोष राव बामने पता - 01,सोनाघाटी बैतूल जिला बैतूल पिन- 460001 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती ।

  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2838 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
SC/NIL/FEMALE/ WAITING/01	सुश्री प्रियंका कन्हैयालाल मालवीय पिता/पति श्री कन्हैयालाल मालवीय पता - डी-328/ए, सी रोड, 40 ब्लॉक लिम्पस क्लब, भुसावल, जिला जलगांव पिन - 425201 महाराष्ट्र	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड उमरिया जिला उमरिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन

वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पृ.उ....

कमांक 13592 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 05/10/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग शहडोल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उमरिया की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित सुश्री प्रियंका मालवीय पिता/पति श्री कन्हैयालाल मालवीय पता - डी-328/ए, सी रोड, 40 ब्लॉक लिम्पस क्लब, भुसावल, जिला जलगांव पिन - 425201 महाराष्ट्र की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल [enep@nic.in](mailto:enep@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2836 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपचंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/WAITING/02	श्री/सुश्री शंशाक रमन पिता श्री राम प्रकाश जाटव पता - डी-117, स्कीम नं 51, इन्दौर जिला इन्दौर पिन - 452006 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड चुरहट जिला सीधी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पृ.उ....

क्रमांक 13590 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 05/10/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सीधी की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लोस्वायां उपखण्ड चुरहट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री शंशाक रमन पिता श्री राम प्रकाश जाटव पता - डी-117, स्कीम नं 51, इन्दौर जिला इन्दौर पिन - 452006 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [enepn@nic.in](mailto:enepn@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक २४३३ स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/२३

भोपाल, दिनांक ०५/१०/२३

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-३/१/२/००१४/२०२३-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक २६ जून २०२३ द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(०३) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, २०१६ अनुसार वेतन लेवल-८रु.३२८००-१०३६०० वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-३-१३/२०१९/३/एक दिनांक १२ दिसम्बर २०१९ अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/06	श्री/सुश्री सैफ अजहर पिता श्री तारिख इरफान हनफी पता - १०२, राम नगर, आधारताल, जबलपुर, जिला जबलपुर पिन - ४८२००४ मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड उमरिया जिला उमरिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

०१. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम १९६० के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
०२. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-३-१३/२०१९/३/एक दिनांक १२ दिसम्बर २०१९ मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम २०११ के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग शहडोल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उमरिया की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री/सुश्री सैफ अजहर पिता श्री तारिख इरफान हनफी पता - 102, राम नगर, अधारताल, जबलपुर, जिला जबलपुर पिन - 482004 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
 प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़,भोपाल  
ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2834 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल,दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम,2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/07	श्री/सुश्री देवेश गर्ग पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद गर्ग पता - 824, महुखेडा, कुआँखेडा नायक, दमोह, जिला दमोह पिन - 470661 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड हटा जिला दमोह

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

कमांक 13588 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 05/10/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय दमोह की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड हटा, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री/सुश्री देवेश गर्ग पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद गर्ग पता - 824, महुखेडा, कुआँखेडा नायक, दमोह, जिला दमोह पिन - 470661 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।



प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [enepn@nic.in](mailto:enepn@nic.in) दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 2831 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/02	श्री/सुश्री शैलेन्द्र सिंह यादव पिता श्री तिलेश्वर सिंह यादव पता - मोहम्मदपुर, कैथवालिया, गाजीपुर, जिला गाजीपुर पिन - 233001 उत्तर प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड मुरैना जिला मुरैना

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल मुरैना की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय मुरैना की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो0स्वा0यां0उपखण्ड मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री/सुश्री शैलेन्द्र सिंह यादव पिता श्री तिलेश्वर सिंह यादव पता - मोहम्मदपुर, कैथवालिया, गाजीपुर, जिला गाजीपुर पिन - 233001 उत्तर प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़,भोपाल

ई-मेल [enep@nic.in](mailto:enep@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 2839 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल,दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम,2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/ WAITING/01	श्री राहुल बघेल पिता श्री मगन सिंह बघेल पता - वार्ड नं-14, रामकृष्ण नगर, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ पिन - 457661 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड उमरिया जिला उमरिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड देवसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री राहुल बघेल पिता श्री मगन सिंह बघेल पता - वार्ड नं-14, रामकृष्ण नगर, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ पिन - 457661 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2837 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/WAITING/03	श्री अजय कुमार भरतकर पिता श्री बाबू राव भरतकर पता - वार्ड नं-07, पोस्ट हरदोली तिरोदी बालाघाट, जिला बालाघाट पिन - 481449 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बालाघाट जिला बालाघाट

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन

वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री अजय कुमार भरतकर पिता श्री बाबू राव भरतकर पता - वार्ड नं-07, पोस्ट हरदोली तिरोदी बालाघाट, जिला बालाघाट पिन - 481449 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2821 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/08	श्री/सुश्री आयुष नागर पिता/पति श्री दीपक नागर पता - गली नं.02, रघुराज नगर, धवारी जिला सतना 485001 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड रीवा जिला रीवा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



- वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अंधवान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर..कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री आयुष पिता/पति श्री दीपक नागर पता - गली नं.02, रघुराज नगर, धवारी जिला सतना 485001 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2824स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/FEMALE/WAITING/03	श्री/सुश्री रितू भटेजा पिता/पति श्री जयचन्द भटेजा पता - 358, केसर बाग रोड, स्कीम नं.103, इन्दौर जिला इन्दौर 452009 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सीहोर जिला सीहोर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री रितू भटेजा पिता/पति श्री जयचन्द भटेजा पता - 358, केसर बाग रोड, स्कीम नं.103, इन्दौर जिला इन्दौर 452009 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [enepn@nic.in](mailto:enepn@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2826 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/WAITING/03	श्री/सुश्री भूपेन्द्र नागेश्वर पिता श्री गुलाब नागेश्वर पता - 423, कनकी, लालबर्सा, बालाघाट, जिला बालाघाट 481441 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीव्र



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

कमांक 13579स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5/10/2023

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सागर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री भूपेन्द्र नागेश्वर पिता श्री गुलाब नागेश्वर पता - 423, कनकी, लालबरी, बालाघाट, जिला बालाघाट 481441 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल  
ई-मेल [enepb@nic.in](mailto:enepb@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2822 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/FEMALE/WAITING/01	श्री/सुश्री सुरभि पाण्डे पिता/पति श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे पता - 53 जीएच सोसायटी रोड देवेन्द्र नगर, पन्ना जिला पन्ना 488333 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड पन्ना जिला पन्ना

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

(4)

कमांक 13575 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 05/10/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग पन्ना की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सागर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री सुरभि पाण्डे पिता/पति श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे पता - 53 जीएच सोसायटी रोड देवेन्द्र नगर, पन्ना जिला पन्ना 488333 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2830 रथा/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टापपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
ST/NIL/FEMALE/WAITING/01	श्री/सुश्री राधिका चौहान पिता/पति श्री कृष्ण बहादुर सिंह चौहान पता - 23, काली बावडी, दरबार कॉलोनी, मनावर, जिला धार 454449 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड राजगढ़ जिला राजगढ़

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन

वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

(4)

क्रमांक 13583 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5/10/2022

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री राधिका चौहान पिता/पति श्री कृष्ण बहादुर सिंह चौहान पता - 23, काली बावडी, दरबार कॉलोनी, मनावर, जिला धार 454449 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।



प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़,भोपाल  
ई-मेल [enepn@nic.in](mailto:enepn@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2819 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल,दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम,2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/02	श्री/सुश्री वैभव जैन पिता/पति श्री इन्दरमल जैन पता - 542, राजाराम नगर,जिला देवास 455001 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड दतिया जिला दतिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा)सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

कमांक 13572-स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 5/10/2023

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री वैभव जैन पिता/पति श्री इन्दरमल जैन पता - 542, राजाराम नगर, जिला देवास 455001 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2820 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/06	श्री/सुश्री निबास बिसवास पिता/पति श्री कमल चन्द्र बिसवास पता - वार्ड नं.30 बंगाली कॉलोनी, गरीबी लाईन के पास, इटारसी जिला नर्मदापरम 461111 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड श्योपुर जिला श्योपुर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

क्रमांक 13873 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 05/10/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री निवास बिसवास पिता/पति श्री कमल चन्द्र बिसवास पता - वार्ड नं.30 बंगाली कॉलोनी, गरीबी लाईन के पास, इटारसी जिला नर्मदापरम 461111 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़,भोपाल  
ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 2823स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल,दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम,2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/FEMALE/WAITING/02	श्री/सुश्री स्नेहल मिश्रा पिता/पति श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा पता - 14/795, गंगोत्री कॉलोनी , रीवा जिला रीवा 486001 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सीधी जिला सीधी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन

वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग सीधी की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सीधी की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री स्नेहल मिश्रा पिता/पति श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा पता - 14/795, गंगोत्री कॉलोनी, रीवा जिला रीवा 486001 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़,भोपाल  
ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2828 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल,दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम,2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/WAITING/01	श्री/सुश्री संजय कुमार सिंह पिता श्री इन्द्रजीत सिंह पता - जीएचएसएस नं-02 छत्रसाल स्टेडियम, सीधी, जिला सीधी 486661 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड उमरिया जिला उमरिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग शहडोल की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री संजय कुमार सिंह पिता श्री इन्द्रजीत सिंह पता - जीएचएसएस नं-02 छत्रसाल स्टेडियम, सीधी, जिला सीधी 486661 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
5/10  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2827 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

3

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/FEMALE/WAITING/01	श्री/सुश्री अलका राठौर पिता/पति श्री विक्रम लाल राठौर पता - 73, किर्ति नगर, इन्दौर रोड, उज्जैन जिला उज्जैन 456010 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड शाजापुर जिला शाजापुर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री अलका राठौर पिता/पति श्री विक्रम लाल राठौर पता - 73, किर्ति नगर, इन्दौर रोड, उज्जैन जिला उज्जैन 456010 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 2829 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/WAITING/02	श्री/सुश्री प्रदीप धुर्वे पिता श्री भुवन लाल धुर्वे पता - वार्ड नं-06, ग्राम लोनिया, पोस्ट बिसापुरकलां, मोहखेड, छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा 480107 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री प्रदीप धुर्वे पिता श्री भुवन धुर्वे पता - वार्ड नं-06, ग्राम लोनिया, पोस्ट बिसापुरकलां, मोहखेड, छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा 480107 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
 5/10  
 प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल [enep@nic.in](mailto:enep@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2825 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 05/10/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टापपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/WAITING/01	श्री/सुश्री नितान्त चौहान पिता श्री अरविन्द कुमार चौहान पता - 03, पंधारवानी रोड, संचेती कॉलोनी, लालबर्सा, बालाघाट जिला बालाघाट 481441 मध्य प्रदेश	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सिवनी जिला सिवनी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन



वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक **05.10.2023** से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
 (एस.के.अध्वान)  
 प्रमुख अभियंता



.....निरंतर.कृ.पू.उ....

क्रमांक 13578 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5/10/2023

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड खिबनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री/सुश्री नितान्त चौहान पिता श्री अरविन्द कुमार चौहान पता - 03, पंधारवानी रोड, संचेती कॉलोनी, लालबर्गा, बालाघाट जिला बालाघाट 481441 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
5/10  
प्रमुख अभियंता  
